पंजीकृत

कार्यालय उप श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर, श्रम भवन, रुद्रपुर।

पत्रांकः– 6074 / प्रवर्तन / Misc / 2025 दिनांकः– 15-11-2025

1- The Chairman/General Secretary, KGCCI, Industrial Estate, Bazpur Road, Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand 244713 email-kgcci10@gmail.com
2- The President/General Secretary, SEWS-SIIDCUL ENTERPRENEUR WELFARE SOCIETY, SIIDCUL, PANTNAGAR, Mobile 8006404909
3- The President/General Secretary, SSIWA- SITARGANJ SIIDCUL INDUSTRIAL WELFARE ASSOCIATION, SIIDCUL, SITARGANJ, Mob 9720106713

विषयः आगामी शीतकाल के दौरान ठंड एवं कोहरे के कारण दुघर्टनाओं की रोकथाम व बचाव एवं कार्यस्थल पर ठंड से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था के संबंध में।

आप अवगत हैं कि, शीतकाल में जनपद उधमसिंहनगर अत्यधिक शीतलहर व घने कोहरे से प्रभावित रहता है, जिस कारण सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं में भी वृद्धि देखी जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में आने–जाने वाले कर्मचारी तथा कारखानों के परिवहन वाहन विशेष रूप से इन परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारियों की सुरक्षा तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सामाजिक उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से निवारक उपाय ससमय अपनाया जाना अति आवश्यक है। अतः आपसे अपेक्षा है कि नियोक्ता संघ के सभी सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं कारखानों को निम्नलिखित सुरक्षा उपायों के अनुपालन हेतु उचित रूप से अवगत कराएँ। सभी फैक्ट्री वाहनों, लॉजिस्टिक वाहनों, कर्मचारियों के निजी वाहनों एवं ट्रांसपोर्ट वाहनों में फॉग लाइट (Fog Lights), रिफ्लेक्टर टेप अथवा रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।

औद्योगिक प्रतिष्ठान से सम्बद्ध सभी प्रकार के वाहनों चाहे वे फैक्ट्री के वाहन हों या कर्मचारियों के निजी दोपहिया / चारपहिया वाहन, सभी पर फॉग लाइट, रिफ्लेक्टर टेप अथवा रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स अनिवार्य रूप से लगाए जाएं ताकि कम दृश्यता की स्थिति में वाहन स्पष्ट दिखाई दे सकें। रात्रि पाली एवं प्रातःकालीन पाली में घने कोहरे व ठंड के बीच प्रतिष्ठान में आने–जाने वाले कर्मचारियों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता का प्रसार किया जाए। उक्त के अतिरिक्त ठंड के मौसम में प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु नियोक्ता प्रतिष्ठान द्वारा कार्यस्थल पर समुचित व प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि, कर्मचारी ठंड से बच सकें और आवंटित कार्यों का निर्वहन भली–भांति कर सकें।

उपरोक्त समस्त सुरक्षा / बचाव के उपाय कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा, दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सामाजिक दायित्व को सशक्त बनायेंगे। अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु अपने -अपने नियोक्ता संघ के सदस्य प्रतिष्ठानों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

15/11/2025

(के0के0 गुप्ता)
उप श्रम आयुक्त
उधमसिंहनगर।

<u>संख्या उक्त तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः–

1–जिलाधिकारी, महोदय, उधमसिंहनगर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रपुर / काशीपुर को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत उक्त प्रकरण का संज्ञान लिये जाने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3–सहायक श्रम आयुक्त, उधमसिंहनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप श्रम आयुक्त
उधमसिंहनगर।